पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 15565

==========

1. प्रेम कुमार, पिता-स्वर्गीय फुनु राम, निवासी, ग्राम-चकंद स्टेशन, पंचायत-नौगढ़, थाना-चकंद, जिला-गया।

2. नीरज कुमार, पिता-स्वर्गीय महेश राम, निवासी, ग्राम-चकंद स्टेशन, पंचायत-नौगढ़, थाना-चकंद, जिला-गया।

3. पवन कुमार, पिता-स्वर्गीय लखन राम, निवासी, ग्राम-चकंद स्टेशन, पंचायत-नौगढ़, थाना-चकंद, जिला-गया।

4. योगेंद्र राम उर्फ योगेंद्र कुमार, पिता-स्वर्गीय दारोगा राम, निवासी, ग्राम-चकंद स्टेशन, पंचायत-नौगढ़, थाना-चकंद, जिला- गया।

.....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, पटना के माध्यम से।

2. समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, गया।

3. अंचल अधिकारी, गया टाउन, गया।

4. औंकार कुमार, पिता-राम सरूप साव, निवासी, ग्राम-चकंद स्टेशन, पंचायत-चकंद, जिला-गया।

5. भजन यादव, पिता-स्वर्गीय गोपालजी यादव, निवासी, ग्राम-चकंद स्टेशन, पंचायत-चकंद, जिला-गया

6. मुकेश, पिता-रामचंद्र यादव, निवासी, ग्राम-चकंद स्टेशन, पंचायत-चकंद, जिला-गया।

7. राजेंद्र प्रसाद, पिता-स्वर्गीय गणेश यादव, निवासी, ग्राम-चकंद स्टेशन, पंचायत-चकंद, जिला-गया के निवासी।

8. संजय कुमार, पिता-गणेश साव, निवासी, गाँव-चकंद स्टेशन, पंचायत-चकंद, जिला-गया के निवासी।

9. दाहू मिस्त्री, पिता-स्वर्गीय केशर मिस्त्री, निवासी-ताही बीघा, थाना चकंद, जिला-गया के निवासी।

10. उमेश पी डी वर्मा, पिता-स्वर्गीय भोला प्रसाद, निवासी, ग्राम-चकंद स्टेशन, पंचायत-चकंद, जिला-गया के निवासी।

11. नरेश यादव, पिता-बालगोविंद यादव, निवासी, गाँव-सालेहपुर, थाना-सालेहपुर, जिला-गया के निवासी।

12. मनोज यादव, पिता-विरेंद्र यादव, निवासी, गांव-चकंद स्टेशन, पंचायत-चकंद, जिला-गया के निवासी।

.....प्रतिवादी

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री बसंत कुमार चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री अरविंद कुमार, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री साजिद सलीम खान, एससी-25
		सुश्री प्राकृतिता शर्मा, एसी से एससी-25

==========

अधिनियम/धारा/नियम:

बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 3(1), 6(1)(2)

संदर्भित मामले:

- *नागेंद्र मिस्त्री बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2000 में रिपोर्ट किए गए (1) पीएलजेआर 209*
- *मोहम्मद जमालुद्दीन और अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 2010 में रिपोर्ट किया गया (2) पीएलजेआर 518*
- *बिहार राज्य और अन्य बनाम चंद्रबंशी सिंह (पटना एचसी एलपीए नंबर 34, 2015)*

- *त्रिपाठी किरण नाथ शर्मा बनाम बिहार राज्य, (2005) 4 पीएलजेआर 670*
- *एस.एम. एहतेशामुल हसन रहमानी बनाम बिहार राज्य और अन्य में रिपोर्ट किया गया। (पटना एचसी एलपीए नंबर 1106 ऑफ 2023)*
- *अहमदुल्लाह जफर हसन बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2021 में रिपोर्ट किया गया (2) पीएलजेआर 206*
- *जय सिंह बनाम भारत संघ और अन्य, (1977) 1 एससीसी 1*
- *दिल्ली गेट ऑटो सर्विस स्टेशन और अन्य में रिपोर्ट किया गया बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आगरा और अन्य, रिपोर्ट (2009) 16 एससीसी 766*
- *सत्यपाल आनंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, रिपोर्ट (2016) 10 एससीसी 767*

रिट याचिका- *उस आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई, जो अंचल अधिकारी ने अतिक्रमण मामले में पारित किया था, जिसके तहत 14 व्यक्तियों, जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमणकर्ता घोषित किया गया था।*

निर्णय- *याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय को यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे भूमि के संबंध में उनके अधिकार, स्वामित्व और रुचि को सिद्ध किया जा सके। उन्होंने केवल यह कहा कि उन्होंने एक शीर्षक मुकदमा दायर किया है, जो प्रधान उप-जज के समक्ष विचाराधीन है। (पैरा 5)*

किराया रसीदों के जारी होने से भूमि पर कोई अधिकार नहीं बनता और यह भूमि के स्वामित्व या कब्जे को साबित नहीं कर सकता। (पैरा 5)

खतियान में किया गया प्रवेश न तो कोई अधिकार उत्पन्न करता है और न ही किसी स्वामित्व को समाप्त करता है। (पैरा 6)

याचिकाकर्ताओं को एक ही मामले में समान समय पर दो समानांतर उपायों का पालन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। (पैरा 7)

वर्तमान रिट याचिका में उठाया गया मुद्दा उपरोक्त शीर्षक मुकदमे में उठाया जाना चाहिए था, इसलिए यह रिट याचिका पूरी तरह से गलत है। (पैरा 8)

रिट याचिका खारिज की जाती है।(पैरा 10)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

कैव निर्णय

दिनांक: 17-01-2025

वर्तमान रिट याचिका अंचल अधिकारी गया सिटी द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या 11 वर्ष 2016-17 के संबंध दिनांक 07.08.2023 के पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं सहित 14 व्यक्तियों को सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमणकर्ता घोषित किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने 2023 की अतिक्रमण अपील वाद सं 14 मे जिला दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.09.23 को भी रद्द करने की भी प्रार्थना की है जिसमे अंचल अधिकारी गया सिटी द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या 11 वर्ष 2016-17 के आदेश दिनांक 07.08.2023 के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है और गया शहर के अंचल अधिकारी को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है।

2. याचिकाकर्ताओं के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं के पास गाँव-नवगढ़, पुलिस स्टेशन चकंद, जिला-गया में स्थित खाता संख्या 127, प्लॉट संख्या 266 (1232 वर्ग फुट), प्लॉट संख्या 267 (4620 वर्ग फुट), प्लॉट संख्या 267 (2750 वर्ग फुट) और प्लॉट संख्या 302 (239 वर्ग फुट) से संबंधित भूमि का एक टुकड़ा है। यह समर्पित किया गया है कि पूर्वजों याचिकाकर्ताओं में से एक कैप्टन महाराज कुमार गोपाल शरण नारायण सिंह साहब बहादुर को किराया देते थे, जो दिनांक 15.09.1940 को पंजीकृत असाइनमेंट डीड के माध्यम से संबंधित भूमि के मालिक बन गए। यह भी कहा गया है कि पुनरीक्षण सर्वेक्षण अधिकारियों ने कुछ त्रुटियां

की थीं, जिसके कारण प्रश्नगत भूखंड को अनाबाद बिहार सरकार के रूप में दर्ज किया गया था।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने, शुरुआत में, तर्क किया है कि याचिकाकर्ताओं ने दो अन्य व्यक्तियों के साथ एक स्वामित्व मुकदमा दायर किया है, जो की स्वत्व मुकदमा 129/2017 है, जो प्रधान उप-न्यायाधीश-1, गया के विद्वान न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत भूमि पर याचिकाकर्ताओं के अधिकार, स्वामित्व और कब्जे की घोषणा के लिए निर्णय लंबित है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने निषेधाज्ञा देने के लिए एक याचिका भी दायर की है, इस प्रकार, यह समर्पित किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त स्वामित्व मुकदमे के अंतिम परिणाम तक, प्रश्नगत भूमि पर उनके कब्जे से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा ***नागेंद्र मिस्त्री बनाम बिहार राज्य एवं अन्य*** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है, जो ***2000*** में रिपोर्ट किया गया था ***(1) पीएलजेआर 209,*** साथ ही इस मामले में दिए गए निर्णय पर भी ध्यान दिया गया है जो इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा ***मो. जमालुद्दीन एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य*** के मामले में, जो ***2010 (2) पीएलजेआर 518*** में रिपोर्ट किया गया था।

4. *इसके विपरीत,* प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने वर्तमान मामले में दायर जवाबी हलफनामे का उल्लेख करते हुए समर्पित किया है कि अधिकारों के पुनरीक्षण सर्वेक्षण रिकॉर्ड में, उपरोक्त भूमि 'अनाबाद सर्ब साधारण' के रूप में दर्ज की गई है और उक्त रिकॉर्ड में न तो याचिकाकर्ताओं का नाम दर्ज किया गया है और न ही उनके पूर्वजों का, जिससे पता चले कि वे प्रश्नगत भूमि के कब्जे में हैं। यह आगे निवेदन किया गया है कि अंचल अमीन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या 11, 2016-17 के तहत अतिक्रमण की कार्यवाही शुरू की गई, जिसके बाद बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 (इसके बाद 'अधिनियम, 1956' के रूप में संदर्भित) की धारा 3 (1) के तहत याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, जिसके बाद अंचल अधिकारी, गया टाउन द्वारा हल्का कर्मचारी और अंचल अमीन के साथ मौके पर निरीक्षण किया गया था, और अतिक्रमणकारियों को भी निर्देश दिया गया था अपना कारण परीक्षा दायर कर, प्रश्नगत भूमि पर अपना अधिकार, स्वामित्व और हित दिखाने के लिए दस्तावेज, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं ने इसके बजाय उप-न्यायाधीश-I, गया के विद्वान न्यायालय के समक्ष

लंबित उपरोक्त स्वत्व वाद संख्या 129/2017 की शिकायत की एक प्रति दायर की, लेकिन कोई निषेधाज्ञा आदेश प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए अंचल अधिकारी, गया टाउन ने अधिनियम, 1956 की धारा 6(1) के तहत 07.08.2023 को अंतिम आदेश पारित किया था। लेकिन इस बीच, अतिक्रमणकारियों ने एक अपील दायर करके उक्त आदेश दिनांक 07.08.2023 को चुनौती दी थी, हालांकि, अतिक्रमण अपील वाद संख्या 14/2023 वाली उक्त अपील को जिला दंडाधिकारी, गया द्वारा दिनांक 14.09.2023 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने के लिए एक तारीख तय की गई थी। यह तर्क दिया जाता है कि जहां तक संतोषी देवी के नाम पर चलने वाली जमाबंदी का संबंध है, खाता सं.127, प्लॉट सं.266 (1.26 एकड़) से संबंधित भूमि के संबंध में, इसे रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

5. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील के साथ-साथ उत्तरदाताओं के विद्वान वकील को भी सुना है और इस अदालत ने पाया है कि याचिकाकर्ता *प्रथम दृष्टया* इस अदालत को विचाराधीन भूमि पर अपने अधिकार, स्वामित्व और हित के संबंध में संतुष्ट करने में विफल रहे हैं और केवल यह कहा है कि उन्होंने स्वत्व सूट संख्या 129/2017 मुकदमा दायर किया है, जो प्रधान उप-न्यायाधीश-I, गया के विद्वान न्यायालय के समक्ष निर्णय लंबित है। वास्तव में, याचिकाकर्ता यह दिखाने में भी विफल रहे हैं कि उनके नाम/उनके पूर्वजों के नाम उक्त भूखंडों में की गई प्रविष्टि के विरुद्ध अधिकारों के अभिलेख में दर्ज हैं। जहां तक किराए की रसीद पर निर्भरता का संबंध है, यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि केवल किराए की रसीदें जारी करने से भूमि का स्वामित्व नहीं बन सकता है और न तो स्वामित्व साबित हो सकता है और न ही विचाराधीन भूमि प्रश्नगत कब्जा साबित किया जा सकता है। इस संबंध में, इस न्यायालय की विद्वत खंड पीठ द्वारा पारित 15.12.2015 दिनांकित निर्णय का संदर्भ दिया जाना चाहिए, साथ ही ***त्रिपाठी किरण नाथ शर्मा बनाम बिहार राज्य*** के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 5.10.2005 के निर्णय का भी संदर्भ लिया जाना चाहिए, जो ***(2005) 4 पीएलजेआर 670*** में रिपोर्ट किया गया था। ***एस.एम. एहतेशामुल हसन रहमानी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य*** के मामले में इस न्यायालय की वरिष्ठ खंडपीठ द्वारा दिनांक 10.05.2024 के हाल के निर्णय का संदर्भ लेना लाभप्रद होगा। (एलपीए संख्या 1106 वर्ष 2023 एवं समरूप मामला), जिसका पैराग्राफ संख्या 19 नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"19. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि राज्य सरकार द्वारा किराया स्वीकार करना या किराया रसीद जारी करना भूमि पर कोई अधिकार नहीं बनाता है। इस प्रकार, किराया रसीदों के आधार पर अपीलकर्ताओं का दावा अपीलकर्ताओं के मामले को बेहतर नहीं बनाता है। इसके अलावा, कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं है। राज्य अपने अधिकारियों के कार्यों से बाध्य नहीं है, यदि उन्होंने ऐसा अपने अधिकार या सार्वजनिक प्राधिकरण की शक्ति के बाहर किया है। अनधिकृत रूप से और अधिकार क्षेत्र के बिना किया गया कोई भी कार्य राज्य सरकार को बाध्य नहीं करता है, यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है।"

6. यह भी एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि खतियान में किया गया प्रवेश न तो कोई अधिकार पैदा करता है और न ही किसी अधिकार को समाप्त करता है। इस संबंध में ***अहमदुल्लाह जफर हसन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य*** इस न्यायालय की विद्वत खंड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जाना चाहिए जिसकी रिपोर्ट ***2021 (2) पीएलजेआर 206*** में दी गई है, जिसका पैराग्राफ संख्या 6 नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"6. यह कानून का तय प्रस्ताव है कि खतियान में किया गया प्रवेश न तो कोई अधिकार पैदा करता है और न ही कोई अधिकार समाप्त करता है, ऐसे में विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को अपने अधिकार की घोषणा के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय का सहारा लेने का सही आदेश दिया है।

7. इस मामले का एक अन्य पहलू यह है कि याचिकाकर्ताओं को एक ही समय में एक ही मामले के संबंध में दो समानांतर उपायों को की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख किया जाना चाहिएः .

(i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***जय सिंह बनाम भारत संघ और अन्य*** के मामले में दिया गया निर्णय, ***(1977)1 एससीसी*** 1 में रिपोर्ट किया गया;

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***दिल्ली गेट ऑटो सर्विस स्टेशन और अन्य बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आगरा और अन्य*** के मामले में दिया गया निर्णय, ***(2009) 16 एससीसी 766*** में रिपोर्ट किया गया; और

(iii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***सत्य पाल आनंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य*** के मामले में दिया गया निर्णय, ***(2016) 10 एससीसी 767*** में रिपोर्ट किया गया।

8. अब वर्तमान मामले पर वापस आते हुए, याचिकाकर्ताओं ने विचाराधीन भूमि पर अपने अधिकार, स्वामित्व और कब्जे की घोषणा प्रश्नगत विद्वत निचली अदालत के समक्ष एक मालिकाना हक का मुकदमा दायर किया है, जिसप्रश्नगत याचिकाकर्ताओं को अंचल अधिकारी, गया टाउन द्वारा अतिक्रमणकर्ता माना गया है, 2016-17 के अतिक्रमण मामले सं.11 में पारित एक आदेश द्वारा, जिसे जिला दंडाधिकारी, गया द्वारा भी अतिक्रमण अपील मामले संख्या 14/2023 में पारित एक आदेश द्वारा बरकरार रखा गया है, इसलिए वर्तमान में मुद्दा उठाया गया है। रिट याचिका उपरोक्त मुकदमे में उठाई जानी चाहिए थी। उपरोक्त मुकदमे में, इस प्रकार वर्तमान रिट याचिका पूरी तरह से गलत है।

9. अब याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा निर्दिष्ट निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, जिनके मामलों में प्रस्तुत किया गया है ***नागेंद्र मिस्त्री*** (ऊपर) और ***मोहम्मद जमालुद्दीन*** (ऊपर) के मामलों में दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में वे लागू नहीं होते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता पहले ही एक स्वामित्व मुकदमा दायर करके सक्षम अधिकार क्षेत्र के विद्वत दीवानी न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं और दूसरा, याचिकाकर्ताओं ने प्रश्नगत भूमि पर अपने अधिकार, स्वामित्व और हित को साबित करने के लिए किसी भी ठोस प्रमाण या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और पूर्वगामी कारणों प्रश्नगत रखते हुए, मुझे वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है, इसलिए यह खारिज की जाती है, हालांकि, इस चेतावनी के साथ कि ऐसे याचिकाकर्ता, जिनके पक्ष में *जमाबंदी* मौजूद है, जब तक कि *जमाबंदी* रद्द नहीं हो जाती, तब तक विचाराधीन भूमि पर उनके कब्जे को बाधित नहीं किया जाएगा। फिर भी, यह न्यायालय निर्देश देता है कि

याचिकाकर्ताओं की प्रश्नगत भूमि/घरों आज की स्थिति को आज से छह सप्ताह की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा, ताकि याचिकाकर्ता विद्वान विचरण न्यायालय से निषेधाज्ञा देने का आदेश प्राप्त कर सकें।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

कंचन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।